देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/MMP/05 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 17 जनवरी 2020

अजमेरा गार्डन की नर्सरी की जमीन पर चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के सम्बन्ध में दर्ज जन हित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया अंतरिम आदेश

याचिका लंबित रहने तक बंद रखनी होगी अवैध व्यवसायिक गतिविधियां

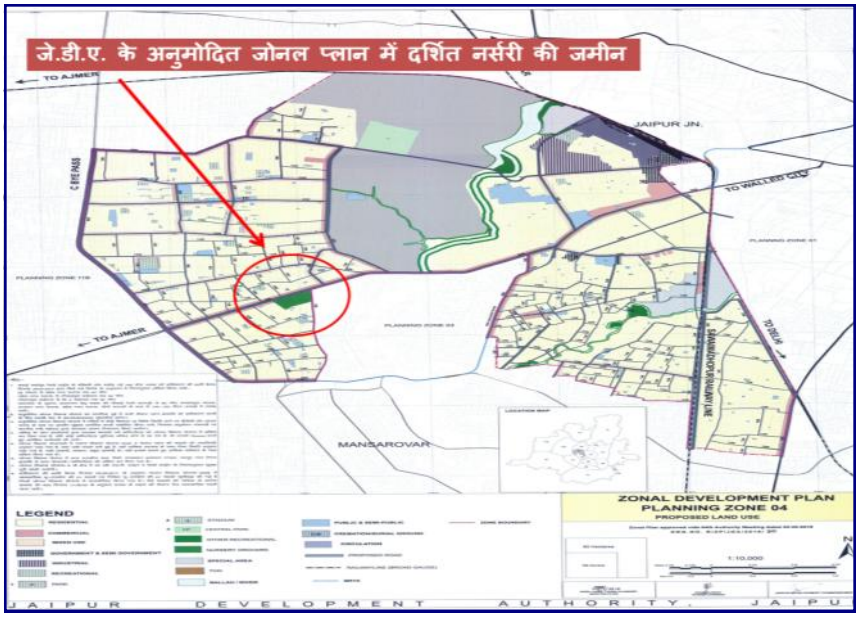

अजमेरा गार्डन स्थित नर्सरी का है मामला|

अजमेर रोड व किंग्स रोड के कोर्नर पर(राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरे संख्या (198)23 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती जमीन जो अजमेरा गार्डन के नाम से मशहूर है|अवाप्ति के 25 साल बाद भी जे.डी.ए ने इस जमीन पर कब्ज़ा नहीं लिया,बल्कि 15 बीघा जमीन पर बसाई गयी अवैध कोलोनी को नियमित कर दिया, बाकी बची 8 बीघा जमीन पर,जो कि मास्टर प्लान 2025 के अनुसार नर्सरी की जमीन के रूप में दर्ज है,पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे है|जे.डी ए. के संज्ञान में यह मामला लाने पर प्रवर्तन शाखा द्वारा आनन-फानन से धारा 32 के नोटिस दिए गए,परन्तु जैसा की होता आया है,प्रवर्तन नोटिस देकर भूल गया|

जे.डी.ए. नोटिस देकर भुला,व्यवसायिक गतिविधियाँ निरंतर चालू

ANCHOR | अजमेर रोड पर अजमेर गार्डन से जुड़ी ज़मीन का मामला

नर्सरी की ज़मीन पर खोल दिए रेस्टोरेंट और मार्बल शोरूम

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

जयपुर @ पत्रिका. पुरानी चुंगी के आगे, अजमेर रोड व किंग्स रोड के कॉर्नर से सटी भूमि पर रेस्टोरेंट व मार्बल शोरूम से लेकर कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। यहां ऐसी किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं है।

जमीन पर काबिज लोग रूपांतरण कराए बिना और हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत काम कर चांदी कूट रहे हैं। मास्टर प्लान में यह जमीन नर्सरी ओचार्ड के रूप में दर्शित है और हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान की अशरक्षः पालना के आदेश दे रखे हैं।

जो भी विवाद है, निपट जाएगा। हालांकि व्यावसायिक गतिविधि के लिए जेडीए की अनुमति नहीं है लेकिन व्यावसायिक गतिविधि चलने से नुकसान क्या है?

जगदीश शर्मा, जमीन पर काबिज

यह है मामला

बहु उद्देश्यीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई। इसका अवॉर्ड 16 नवम्बर 1989 को जारी किया गया।

हाईकोर्ट में मामला होने के दौरान ही नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने जेडीए में 8 बीघा भूमि पर आवासीय योजना के नियमन को लेकर आवेदन कर दिया। जबकि उस समय खातेदार ने ही भूमि अवाप्ति से मुक्ति के लिए याचिका दायर की थी।

अवाप्ति प्रक्रिया से मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र सौंपने वाले जगदीश शर्मा के दस्तावेज फर्जी होने का दावा किया। शिकायतकर्ता ने इसे पुष्ट करने के दस्तावेज सौंपे, जो 8 बीघा जमीन से जुड़े थे।

तत्कालीन विधि निदेशक ने तो अवाप्ति प्रक्रिया को ही कालातीत (खत्म) होना बता दिया। जबकि शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 52 (52) के तहत अक्टूबर 1979 में शुरू हुई। नए भूमि अवाप्ति कानून की धारा 24 (2) केवल उन्हीं प्रकरणों पर लागू होती है, जिनमें भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि आवप्ति अधिनियम 1894 के तहत शुरू की गई हो।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस मामले की पत्रावली, अवाप्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की प्रति मंगा चुका है।

जनता की शिकायत नजरअंदाज

मामला राजस्व ग्राम सुशीलपुरा की 23 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। जेडीए अफसर यहां खाली पड़ी 8 बीघा जमीन को अवाप्ति से मुक्त कर योजना बसाने के प्रयासों में जुटे हैं। लोग नर्सरी के लिए आरक्षित जमीन पर व्यावसायिक गतिविधि चलने की लगातार शिकायत करते रहे हैं। इसके बावजूद अफसर कार्रवाई के बजाय अवाप्ति से मुक्त करने की अनुशंसा की फाइल आगे बढ़ाने में जुटे रहे।

---

rajasthanpatrika.com
राजस्थान पत्रिका . जयपुर. बुधवार. 23.05.2018

कोर्ट आदेश की बेकद्री, नर्सरी की भूमि पर कूट रहे चांदी

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

मास्टर प्लान

जेडीए मान चुका अवैध, कार्रवाई नहीं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. मास्टर प्लान के अनुसार सुव्यवस्थित विकास के हाईकोर्ट के आदेश की पालना करवाने वाले ही इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के आगे नर्सरी की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधि धड़ल्ले से संचालित हो रही है।

जमीन पर काबिज लोग रेस्टोरेंट, मार्बल शोरूम से लेकर कई व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे है। जबकि, इस पर किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं है।

इस मामले में जेडीए की मौका रिपोर्ट में अवैध गतिविधि मानी गई है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर मिलीभगत का खेल चल रहा है। जबकि, ये ही अफसर शहर के गली-मोहल्लों में जाकर ऐसी गतिविधि रुकवाने का काम कर रहे हैं। हालांकि, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) ऐसे मामलों में सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

यह है मामला..

बहुद्देश्यीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरा संख्या 198 में 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई।

करीब 8 बीघा जमीन खाली है। इसे अवाप्त मुक्त कर योजना बसाने के लिए काबिज लोग सक्रिय हुए। अभी तक कार्रवाई नही होने से जयपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों पर सवाल खड़े हो रहे है।

फॉलोअप

राजस्थान पत्रिका

मास्टर प्लान में नर्सरी दर्ज, कद्र क्यों नहीं

मास्टर प्लान में यह जमीन नर्सरी (ओचार्ड) के रूप में दर्शित है। जोधपुर हाईकोर्ट ने भी मास्टर प्लान की अशरक्षः पालना के आदेश दे रखे हैं। इसकी पालना कराने की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ जेडीए, नगर निगम की भी है।

रिपोर्ट की जरूरत नहीं

मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण के ऐसे मामलों में सभी को स्थिति पता है। ऐसे में बार-बार रिपोर्ट लेने की जरूरत है ही नहीं और न ही शिकायत का इंतजार करने की जरूरत। जेडीए सीधे कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि, व्यावसायिक गतिविधि संचालन की अनुमति है ही नहीं।

ऐसी किसी तरह की गतिविधि को अनुमति नहीं देंगे, जिससे एक्ट व कोर्ट आदेश की अवहेलना हो। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होगी।

राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जेडीए

है। इसका विरोध भी शुरू हो गया। रहना पड़ रहा है।

नर्सरी पर कसा शिकंजा

जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां होंगे बंद

पत्रिका फॉलो अप

फॉलोअप

प्रकाशित खबर।

प्रवर्तन अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया, जोन से मांगी रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए नर्सरी की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर आखिर जेडीए ने शिकंजा कस दिया। अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के आगे नर्सरी की जमीन पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेडीए टीम बुधवार को वहां पहुंची।

प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सिंह भाटी ने यहां चल रहे रेस्टोरेंट, मार्बल शोरूम व अन्य गतिविधियों की सूची तैयार की। इसके लिए संचालकों से व्यावसायिक उपयोग की अनुमति मांगी गई, लेकिन किसी के पास नहीं मिली।

इसे गंभीर मानते हुए प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने मामले में एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जोन स्तर पर रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिससे ऐसी गतिविधियों को बंद कराने की कार्रवाई की जा सके।

यह है मामला

नर्सरी की जमीन पर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। जेडीए अफसरों के सामने यह काम हो रहा है। जबकि, ऐसे मामलों में जेडीए की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि ये गतिविधियां पूरी तरह अवैध है। खुद जेडीए अधिकारी यह मान रहे हैं, लेकिन रसूखदारों के दबाव और मिलीभगत के खेल में सब कुछ दबाया जा रहा है। बहुउद्देश्यीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरा संख्या 198 में 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई। करीब 8 बीघा जमीन खाली है, जिस पर जेडीए को कब्ज़ा लेना है।

प्रवर्तन अधिकारी ने मौका देख लिया है। जोन से रिपोर्ट मांग रहे हैं, जिससे भूमि के भू-उपयोग की जानकारी हो जाए। जल्द अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया जाएगा।

राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जेडीए

अजमेर रोड पर नर्सरी की बेशकीमती जमीन का मामला

8 नोटिस थमाए, बंद करने का अल्टीमेटम

लोकतंत्र मेरे लिए — FOR THE PEOPLE

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. मास्टर प्लान दरकिनार कर नर्सरी की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर जेडीए ने शिकंजा कस दिया है। अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के आगे नर्सरी की जमीन पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को अवैध मानते हुए मंगलवार को 8 नोटिस थमाए।

जेडीए ने सभी को 7 दिन में गतिविधि बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। जमीन पर काबिज व्यक्ति को चेताया कि नर्सरी की भूमि पर कोई गतिविधि नहीं चलेगी। निर्धारित समय में गतिविधि बंद नहीं की तो सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। यहां रेस्टोरेंट, मार्बल शोरूम व अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं। मास्टर प्लान में यह जमीन नर्सरी ओचार्ड के रूप में दर्शित है। जोधपुर हाईकोर्ट ने भी मास्टर प्लान की अशरक्षः पालना करने के आदेश दे रखे हैं।

इन्हें थमाए बंद करने के नोटिस

कृष्णा स्टोन, मिनी पंजाब रेस्टोरेंट, अग्रसेन मार्बल एवं ग्रेनाइट, श्रीजी रियल एस्टेट, आरजे-14 रेस्टोरेंट, टॉक ऑफ द टाउन, पहाड़िया स्टोन व अंग्रेजी शराब की दुकान को नोटिस दिए गए हैं।

जोन ने भी माना अवैध गतिविधि

प्रवर्तन शाखा ने कुछ दिन पहले मौका मुआयना किया। इसके बाद जोन उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट एक दिन पहले मिली और दूसरे ही दिन नर्सरी की जमीन पर अवैध निर्माण व गतिविधि संचालित करने पर नोटिस थमाए गए।

यह है मामला

बहु उद्देशीय आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक सेक्टर-1 सी योजना के तहत राजस्व ग्राम सुशीलपुरा के खसरा संख्या 198 में 23 बीघा 10 बिस्वा जमीन अवाप्त की गई। करीब 8 बीघा जमीन खाली है। इसे अवाप्ति मुक्त कर योजना बसाने के लिए काबिज लोग सक्रिय हुए। हालांकि इस खेल में अभी तक सफलता नहीं मिली।

एसीबी तक पहुंच चुका मामला

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस मामले की पत्रावली, अवाप्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की प्रति मंगा चुका है। अवाप्ति प्रक्रिया से मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र सौंपने वाले जगदीश शर्मा के दस्तावेज फर्जी होने का ही दावा कर दिया। इस बीच शिकायतकर्ता ने इसे पुष्ट करने के दस्तावेज सौंपे, जो 8 बीघा जमीन से जुड़े थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1959 की धारा 52 (52) के तहत अक्टूबर 1979 में शुरू हुई। नए भूमि अवाप्ति कानून की धारा 24 (2) केवल उन्हीं प्रकरणों पर लागू होती है, जिनमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि आवप्ति अधिनियम 1894 के तहत शुरू की गई हो।

पत्रिका Wed, 20 June 2018
epaper.patrika.com/c/30238465

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजेश बागडा की जन हित याचिका पर दिया अंतरिम आदेश

जे.डी.ए. द्वारा नोटिस देने के डेढ़ साल बाद भी रसूखदारों के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं करने से व्यथित होकर शहर के जागरूक नागरिक श्री राजेश बागडा द्वारा इस बड़े मामले में जन हित याचिका लगा कर,न्यायालय से न्याय की गुहार की गयी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिए कि यह जमीन नर्सरी के उपयोग हेतु सेट अपार्ट की गयी है अतः किसी भी सुरत में जमीन का भू उपयोग बदला नहीं जा सकता|अतः इस याचिका के लंबित रहने तक इस जमीन का अन्य उपयोग नहीं किया जाए और जमीन पर हो रही व्यवसायिक गतिविधियों को कानूनी रूप से हटाया जाए|

जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कोतवाली पुलिस के अनुसार

था। वहीं, बेनीवाल का कहना है कि मामला दर्ज कराया है।

ऑर्किड नर्सरी की जमीन का अन्य उपयोग न हो, अतिक्रमण हटाएं

जयपुर @ पत्रिका. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर रोड पर किंग्स रोड और गोपालपुरा बाइपास पर राजस्व ग्राम सुशीलपुरा में ऑर्किड नर्सरी के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिका के लंबित रहने तक जमीन के अन्य उपयोग पर रोक लगा दी।

याचिकाकर्ता राजेश बागड़ा के अधिवक्ता भरत व्यास ने बताया कि अजमेर रोड पर किंग्स रोड और गोपालपुरा बाइपास पर नर्सरी की 23 बीघा तीन बिस्वा जमीन है। खातेदार शकुतंला अजमेरा की जमीन यूआईटी जयपुर ने अवाप्त की थी, जिसका अवॉर्ड 1989 में हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अगस्त 2005 अवाप्ति को सही ठहराते हुए खातेदार को अवाप्ति से मुक्त करने के लिए सरकार को प्रतिवेदन देने की छूट भी दी थी। अधिवक्ता व्यास ने कहा कि मास्टर प्लान 2011 और 2025 में इस जमीन को नर्सरी का ही बताया गया है। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के मामले में दिए आदेश के अनुसार मास्टर प्लान के विपरीत जमीन का अन्य उपयोग नहीं हो सकता। जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो गए। जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जाने लगा है जिस पर र न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने नर्सरी के लिए आरक्षित जमीन का याचिका के लंबित रहने तक अन्य कोई उपयोग करने पर रोक लगा दी। इसी के साथ जमीन पर अतिक्रमण करके हुए अवैध निर्माणों को कानूनी तरीके से हटाने के निर्देश दिए हैं।

Scanned with CamScanner

नर्सरी की जमीन पर अगर अतिक्रमण है तो जेडीए उसे तत्काल हटाए : हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने अजमेर रोड पर किंग्स रोड के पास नर्सरी के लिए आरक्षित करीब आठ बीघा जमीन पर अतिक्रमण व व्यावसायिक उपयोग के मामले में कहा है कि नर्सरी की जमीन का किसी अन्य काम के लिए उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे में यदि विवादित जमीन का कोई अन्य उपयोग हो रहा है या जमीन पर अतिक्रमण है तो जेडीए कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे हटाए। साथ ही याचिका के लंबित रहने के दौरान इस जमीन का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाए। जस्टिस संगीत राज लोढ़ा व महेन्द्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह निर्देश राजेश बागड़ा की जनहित याचिका पर दिया।

Scanned with CamScanner

यह व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद होंगे